न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 14/2018 जिला सीकर ।

1. भगवानी देवी पत्नि भगवानसहाय जाति जाट निवासी सालासर तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. अनिता पत्नि स्व0 बजरंग लाल जाति जाट निवासी सालासर तहसील सुजानगढ जिला चुरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा कंवर पुत्री स्व. दुर्जनशाल पत्नि श्री प्रवीण सिंह जाति राणा निवासी जुलियासर हाल निवासी मकान 50, लोक नायक व्यास कॉलोनी, तेलीपाडा, शास्त्री नगर, जयपुर।
2. श्रीमती छिगन कंवर पुत्री स्व0 दुर्जनशाल पत्नि श्री श्यामसिंह जाति राणा निवासी जुलियासर हाल निवासी 161, पर्वतीय कॉलोनी, तेलीपाडा नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. श्रीमती मोहनी देवी पुत्री स्व0 दुर्जनशाल पत्नि श्री बनवारी लाल जाति राणा निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.।
4. नन्दलाल पुत्र स्व0 दुर्जनशाल जाति राणा निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.।
5. कौशल कंवर पत्नि श्री पंकज सिंह जाति राणा निवासी ग्राम मलसीसर हाल निवासी राणा कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर राज.।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2018 उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार चौधरी।
2. वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक–01.02.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 21.03.2018 के खिलाफ दिनांक 09.04.2018 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक खातेदार दुर्जनलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 321 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 28.12.1997 को ग्राम पंचायत तिकोडी बडी द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर में प्रस्तुत की गई।
2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील श्रीमती पुष्पा देवी व अन्य बनाम नन्दलाल को निर्णय दिनांक 21.03.2018 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 28.12.1997 वाके ग्राम जुलियासर को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकार लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्टस भगवानी देवी एवं अनिता के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।

(सेवा राम)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 1 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

5. बहस में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दुर्जनशाल की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 272 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित है। दुर्जनशाल के स्वर्गवास के पश्चात दुर्जनशाल के वारिस उसके पुत्र नन्दलाल के नाम खसरा नम्बर 272 जिसके हाल खसरा नम्बर 272/1 से 2727/9 है का नामान्तकरण सख्यां 321 दिनांक 28.12.1997 को स्वीकार होकर उपरोक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी दुर्जनशाल के वारिस उसके पुत्र नन्दलाल के नाम दर्ज हो गई। अपीलार्थी भगवानी देवी एवं अनिता के पति स्व0 बजरंग लाल द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 04 नन्दलाल से उसके खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 272/1 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर से कय कर लिया तथा केतागण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दर्ज हो गया। जिसका खाता संख्या नया 118 व पुराना 53 है। बजरंग लाल की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नि अपीलार्थी संख्या 02 के नाम नामान्तकरण संख्या 1412 दिनांक 07.07.2017 को दर्ज हो चुका है। उनका कहना है कि अपीलार्थी के नाम खातेदारी दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मिलीभगत कर रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 4 नन्दलाल के नाम खुले नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 28.12.1997 की अपील दिनांक 22.12.2015 को बदनीयती पूर्वक दस्तावेजो एवं तथ्यो को छुपाकर बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाये प्रस्तुत की। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 321 दिनांक 28.12.1997 निरस्त करवाने बाबत दिनांक 22.12.2015 को प्रस्तुत किया गया था जबकि अपीलार्थी का नाम कय की दिनांक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.01.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश किया जिसको दिनांक 09.03.2018 को खारिज कर दिया गया। जिसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाये दिनांक 21.032018 को निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट्स को शुरू से ही विवादित नामान्तकरण आदेश की जानकारी थी। लेकिन उनके द्वारा अन्दर मियाद अपील पेश नही की गई। रेस्पोडेंट द्वारा इतने वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की गई और भू माफिया लोगो के इशारे पर लालचवश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी। अपील काफी विलम्ब से पेश होने से विलम्ब को कोई समुचित कारण नही बताया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा उनवानी अपील श्रीमती पुष्पा व अन्य बनाम नन्दलाल व अन्य को दिनांक 21.03.2018 को निर्णित कर रेस्पोडेंट संख्या 4 के नाम खुले नामान्तकरण संख्या 321 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को सभी पक्षो को सुनकर विरासत का नामान्तकरण खोलने हेतु रिमांड कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मगढ जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार दुर्जनशाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272/1 रकबा 1.08 है0 के संबंध में है। दुर्जनशाल की मृत्यु होने के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 272 हाल खसरा नम्बर 272/1 से 272/9 की खातेदारी उसके वारिस रेस्पोडेंट संख्या 04 पुत्र नन्दलाल के नाम विरासत का नामान्तकरण सख्यां 321 दिनांक 28.12.1997 को ग्राम पंचायत तिकोडी बडी द्वारा स्वीकार किये जाने पर दर्ज की गई थी। ग्राम पंचायत तिकोडी बडी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण 321 दिनांक 28.12.1997 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 21.03.2018 के

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर को अपास्त कर स्व0 दुर्जनशाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रिमाण्ड किया गया। अपीलांट का कथन है कि दुर्जनशाल की मृत्यु होने के पश्चात उसकी खातेदारी भूमि उसके वारिस रेस्पोडेंट संख्या 04 पुत्र नन्दलाल के नाम दर्ज की गई थी। रेस्पोडेंट संख्या 04 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 272/1 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर को अपीलार्थी भगवानी देवी एवं अनिता के पति स्व0 बजरंग लाल द्वारा जरिये विकय लेख कय की गई थी तथा कय किये जाने पश्चात भूमि केतागण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी दर्ज हो गई थी। अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 12.01.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2018 को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2018 पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट्स खातेदार की बिना सुनवाई किए आदेश पारित किया हैं। अपीलांट्स विवादित नामान्तकरण से संबंधित आराजी में प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2018 निरस्त कर उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण के प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner